

पीएमएवाई-जी (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण)

पीएमएवाई-जी का उद्देश्य 2022 तक सभी कच्चे मकानों/घरों और जलीय क्षेत्र घर में रहने वाले उन घरों के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर प्रदान करना है। तत्काल उद्देश्य कच्चे घरों / जलीय क्षेत्र में 1.00 करोड़ परिवारों को रहने के लिए पक्का घर बनाना है। 2016-17 से 2018-19 तक के वर्षों में घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर (20 वर्गमीटर से) तक एक स्वच्छ खाना पकाने की जगह के साथ बढ़ा दिया गया है। इकाई सहायता को 70000.00 रुपये से बढ़ाकर 120000.00 कर दी गई है एवं पहाड़ी राज्यों, कठिन क्षेत्रों और आईएपी जिले 75,000 रुपये से 1.30 लाख रुपये तक किया गया है। लाभार्थी को मनरेगा से अर्द्धकुशल श्रम के 90 से 95 मानव दिवस के हकदार होते हैं। शौचालय निर्माण के लिए सहायता राशि एस0बी0एम0 /मनरेगा अथवा किसी अन्य मद से प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पीने के पानी, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन इत्यादि के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से अभिषरण द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (वित्तीय वर्ष 2016-17)	लक्ष्य- 8385			
	अनु 0ज0 जाति	अनु 0जा0	अन्य	अल्पसंख्यक
	2330	1590	3428	1037
	अतिरिक्त लक्ष्य- 350			
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (वित्तीय वर्ष 2017-18)	अनु 0ज0 जाति	अनु 0जा0	अन्य	अल्पसंख्यक
	100	100	100	50
	लक्ष्य- 5340			
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (वित्तीय वर्ष 2018-19)	अनु 0ज0 जाति	अनु 0जा0	अन्य	अल्पसंख्यक
	1300	1250	1900	890
	लक्ष्य- 5970			
अम्बेडकर आवास योजना (वित्तीय वर्ष 2016-17)	अनु 0ज0 जाति	अनु 0जा0	अन्य	अल्पसंख्यक
	2000	1500	2470	0
अम्बेडकर आवास योजना (वित्तीय वर्ष 2018-19)	लक्ष्य- 484			
अम्बेडकर आवास योजना (वित्तीय वर्ष 2018-19)	लक्ष्य- 355			